रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 885] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939
No. 885] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

Indiacode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 1342(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयुद्ध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुद्ध नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयुद्ध (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयुद्ध नियम, 2016 में,–

(i) नियम 2 के उप-नियम (1) में, खंड (21) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(21क) "विद्यमान विनिर्माता" से ऐसा कोई विनिर्माता अभिप्रेत है जो प्ररूप 9 में आयुद्ध नियम, 1962 के अधीन या उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951 या तद्धीन बनाये गए नियमों के अधीन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को विनिर्माण अनुज्ञप्ति धारण कर रहा है;';

(ii) नियम 19 में उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(4) उप-नियम (3) के अधीन अनुदत्त क्षेत्र विधिमान्यता अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता अवधि के साथ समाप्त नहीं होगी और नवीकरण प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के समय क्षेत्र विधिमान्यता में फेर-फार नहीं करेगा:

परंतु जहां किसी भी मामले में किसी तात्विक साक्ष्य के आधार पर नवीकरण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि सम्पूर्ण भारत के लिए क्षेत्र विधिमान्यता और अधिक अपेक्षित नहीं है तो वहां वह क्षेत्र विधिमान्यता के पुनर्विलोकन के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापन प्राधिकारी को सिफारिशें भेज सकेगा।';

(iii) नियम 29 में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु विनिर्माण के लिए प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति और/या आयुद्ध और गोला-बारूद के सबूत परीक्षण के मामले में, फीस, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के समय संदेय होगी ।";

(iv) नियम 51 में,-

(क) उप-नियम (4) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए, प्ररूप 7 में एकल अनुज्ञप्ति ऐसी बहुएकक सुविधा के लिए आवेदन करने वाली आवेदक कम्पनी को जारी की जा सकेगी जो देश के भीतर उसी राज्य के भीतर या भिन्न-भिन्न राज्यों में स्थापित की जाए:

परंतु आवेदक कंपनी प्रत्येक एकक के लिए पृथक अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेगी और उस दशा में, पृथक अनुज्ञप्ति प्रत्येक यूनिट के लिए जारी की जाएगी।";

(v) नियम 54 में उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) प्ररूप 7 में अनुदत्त अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी के जीवनकाल के लिए विधिमान्य होगी ;

परंतु अनुज्ञप्तिधारी से आयुद्ध और/या गोलाबारूद के विनिर्माण या सबूत परीक्षण, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारिवृन्द भर्ती, आयुद्ध और गोला-बारूद का विकास और प्रोटोटाइप सूबत परीक्षण, आयुद्ध और गोला-बारूद के विनिर्माण या सबूत परीक्षण या उसके सबूत परीक्षण के लिए सुविधा की स्थापना करने से सम्बन्धित परीक्षण करना और कोई अन्य क्रिया-कलाप करने के लिए सुविधा अनुज्ञप्ति प्रदान करने की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर स्थापित करने की अपेक्षा की जाएगी :

परंतु यह और कि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर और ऐसे विस्तार अनुदत्त करने के लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात् सात वर्ष की अवधि को तीन वर्ष की अवधि तक आगे बढ़ा सकेगा :

परंतु यह भी कि यदि, यथास्थिति, सात वर्ष की अवधि या तीन वर्ष की विस्तारित अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी विनिर्माण या सबूत परीक्षण सुविधा स्थापित करने में असफल रहता है या वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के लिए अपेक्षित अन्य प्रचालन उपाय करने में असमर्थ है तो अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत कर दी जाएगी।";

(vi) नियम 55 में, उप-नियम (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(6) विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित लघु आयुद्धों और हल्के हथियारों को मामला दर मामला के आधार पर विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के परामर्श से गृह मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन रहते हुए निर्यात के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।";

(vii) नियम 55 में उप-नियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(11) प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति रखने वाली ऐसी कोई अनुज्ञप्तिधारी कंपनी को अनुज्ञापन प्राधिकारी को पूर्व सूचना देकर अपनी अनुज्ञप्ति पर ऐसे पृष्ठांकित मात्रा, जिसके लिए क्षमता के बारे में अनुज्ञप्ति पर कोई अतिरिक्त पृष्ठांकन अपेक्षित नहीं होगा, का पंद्रह प्रतिशत तक आयुद्ध और/या गोला-बारूद का वर्धित वार्षिक उत्पादन रखने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा"।;

(viii) नियम 59 में,-

(क) उप-नियम 7 में "सबूत परीक्षण सुविधा रखने वाला प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी" शब्दों के स्थान पर "प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति धारण करने वाला प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उप-नियम 9 में "इस नियम के प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी" शब्दों के स्थान पर "प्ररूप 7 में अनुज्ञप्ति रखने वाला प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ix) नियम 60 में उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(4) प्रत्येक विद्यमान विनिर्माता को इन नियमों की अधिसूचना के दो वर्ष की अवधि के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 7 में नई अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी और आयुद्ध नियम 1962 या उद्योग (विकास विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन या तद्धीन बनाये गए नियमों के अधीन विद्यमान विनिर्माताओं को कच्ची सामग्री के उपापन के लिए

प्रदान की गई अनुज्ञा या किसी छूट के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

(5) उप-नियम (4) के अधीन प्ररूप 7 में जारी प्रत्येक नई अनुजप्ति, अनुजप्तिधारी के जीवनकाल के लिए विधिमान्य होगी और ऐसे अनुजप्तिधारी को अनुज्ञापन प्राधिकारी को पूर्व सूचना देकर अपनी अनुजप्ति पर ऐसे पृष्ठांकित मात्रा, जिसके लिए क्षमता के बारे में अनुजप्ति पर कोई अतिरिक्त पृष्ठांकन अपेक्षित नहीं होगा, का पंद्रह प्रतिशत तक आयुद्ध और/या गोला-बारूद का वर्धित वार्षिक उत्पादन रखने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा"।;

(x) अनुसूची 4 की सारणी 'क' के भाग 2 में, क्रम संख्यांक 7, 8, 9, 10, 15 और 20 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्र. सं.	प्ररूप संख्या		अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने के समय अनुज्ञप्ति फीस (रु. में)	ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए, जहां लागू हो, नवीकरण फीस (रु. में)
"7.	7	विनिर्माण और सबूत परीक्षण		
I		अग्न्यायुद्ध – वार्षिक अनुजप्त क्षमता		
(क)		1000 एककों से अनधिक	5000 रुपये	लागू नहीं होता
(ख)		1000 एककों से अधिक किन्तु 10000 एककों से अनधिक	15000 रुपये	लागू नहीं होता
(ग)		10000 एककों से अधिक	50000 रुपये	लागू नहीं होता
II		गोला-बारूद – वार्षिक अनुजप्त क्षमता		
(क)		1 लाख कारतूसों से अनधिक	5000 रुपये	लागू नहीं होता
(ख)		1 लाख कारतूसों से अधिक किन्तु 10 लाख कारतूसों से अनधिक	15000 रुपये	लागू नहीं होता
(ग)		10 लाख कारतूसों से अधिक	50000 रुपये	लागू नहीं होता
8.	7-क	अनुसूची 1 (अग्न्यायुद्ध से भिन्न आयुद्ध) के प्रवर्ग 5 आयुद्ध का विनिर्माण	5000 रुपये	लागू नहीं होता
9.	7-ख	अग्न्यायुद्धों, जिनके अन्तर्गत हथियार लोड करने वाले पुरातन नालमुख भी है और वायु हथियार, जिनके अन्तर्गत वायु राइफल या वायु बंदूकें भी हैं, कि प्रतिकृति का विनिर्माण	5000 रुपये	लागू नहीं होता
10.	7-ग	वायु हथियारों का विनिर्माण	5000 रुपयें	लागू नहीं होता
15.	10	आयुद्ध और गोला-बारूद, जिसके अन्तर्गत उनके पुर्जे भी हैं, के लिए संयुक्त आयात/निर्यात अनुजप्ति (प्रत्येक प्रेषण के लिए)	5000 रुपये	लागू नहीं होता
20.	15	नेपाल सरकार के लिए आयात और परिवहन के लिए (प्रत्येक प्रेषण के लिए)	5000 रुपये	लागू नहीं होता"

[सं. V-11026/98/2016-आयुद्ध (भाग.I)]

मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, तारीख 15 जुलाई, 2016 को प्रकाशित किए गए थे

IndiaCode

MINSTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2017

G.S.R. 1342(E).—In exercise of the powers conferred by section 44 of the Arms Act, 1959 (54 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Arms Rules, 2016, namely:—

1. *(1)* These rules may be called the Arms (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Arms Rules, 2016, —

(i) in rule 2, in sub-rule (I), after clause (21), the following clause shall be inserted, namely:-

'(21a) "existing manufacturer" means any manufacturer holding manufacturing licence under the Arms Rules, 1962 in Form IX or under the Industrial Development (Regulation) Act, 1951 or rules framed thereunder on the date of notification of these rules;';

(ii) in rule 19, after sub-rule (3), the following shall be inserted, namely:-

"(4) The Area validity granted under sub-rule (3) shall not terminate with the validity period of the licence and the renewing authority shall not vary the area validity at the time of renewal of licence:

Provided that where in any case, the renewing authority on the basis of some material evidence, is satisfied that area validity for the whole of India is not required anymore, it may send the recommendations to the licensing authority concerned for review of the area validity.";

(iii) in rule 29, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of a licence in Form VII for the manufacture and/or proof test of arms and ammunition, the fee shall be payable at the time of grant of a licence.";

(iv) in rule 51, -

(a) sub-rule (4) shall be omitted;

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) Single licence in Form VII may be issued to an applicant company applying for a multi-unit facility which may be set-up within the same State or in different States within the country, for the grant of a licence under these rules:

Provided that an applicant company may apply for a separate licence for each unit and in that case, separate licence shall be issued for each of the units.";

(v) in rule 54, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) A licence granted in Form VII shall be valid for the life time of the licensee company:

Provided that the licensee shall be required to setup the facility for manufacture or proof test of arms and/or ammunition, recruit technical and administrative staff, develop and proof test proto-types of arms and ammunition, conduct trial runs and any other activity related to the setting up of the facility for the manufacture or proof-test of arms and ammunition, within a period of seven years from the date of grant of a licence:

Provided further that the licensing authority may extend the period of seven years by a further period of three years, on the basis of a written representation received from the licensee and after recording reasons for granting such an extension:

Provided also that if during the period of seven years or the extended period of three years, as the case may be, the licensee fails to setup the manufacturing or proof-test facility or is unable to take other operating steps required for starting commercial production, the licence shall be suspended or revoked.";

(vi) in rule 55, for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(6) The small arms and light weapons produced by the manufacturers may be allowed for export subject to the approval of the Ministry of Home Affairs in consultation with the Ministry of External Affairs, the Ministry of Defence and the Ministry of Commerce, on a case to case basis.";

(vii) in rule 55, after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(11) A licensee company having a licence in Form VII shall be permitted to have enhanced annual production of firearms and/or ammunition upto fifteen per cent. of the quantity endorsed on his licence, by giving prior intimation to the licensing authority for which no further endorsement on the licence as to capacity shall be required.";

(viii) in rule 59, —

(a) in sub-rule (7), for the words "Every licensee having a proof-test facility", the words and figures "Every licensee holding a licence in Form VII" shall be substituted;

(b) in sub-rule (9), for the words "Every licensee under this rule", the words and figures "Every licensee having a licence in Form VII" shall be substituted;

(ix) in rule 60, for sub-rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(4) Every existing manufacturer shall be issued a fresh licence in Form VII, within a period of two years of the notification of these rules, by the licensing authority and any permission or any exemption granted for procurement of raw materials to the existing manufacturers under the Arms Rules, 1962 or under the Industrial Development (Regulation) Act, 1951 or rules framed thereunder, shall be deemed to have been issued under the corresponding provisions of these rules.

(5) Every fresh licence issued in Form VII under sub-rule (4) shall be valid for the life time of the licensee and such licensee shall be permitted to have enhanced annual production of firearms and/or ammunition upto fifteen per cent. of the quantity endorsed on his licence by giving prior intimation to the licensing authority and for which no further endorsement on the licence as to capacity, shall be required.";

(x) in Schedule IV, in Part II of Table A, for serial numbers 7,8,9,10,15 and 20 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall, respectively, be substituted, namely:—

Sr. No	Form No.		Licence Fee at the time of grant of licence (in Rs.)	Renewal fee for each subsequent year wherever applicable (in Rs.)
"7.	VII	Manufacture and Proof Test		
I		Firearms - Annual Licensed Capacity		
(a)		Not exceeding 1000 units	Rs. 5000	N/A
(b)		More than 1000 units but not exceeding 10000 units	Rs. 15000	N/A
(c)		More than 10000 units	Rs. 50000	N/A
II		Ammunition - Annual Licensed Capacity		
(a)		Not exceeding 1 lac cartridges	Rs. 5000	N/A
(b)		More than 1 lac cartridges but not exceeding 10 lac cartridges	Rs.15000	N/A
(c)		More than 10 lac cartridges	Rs. 50000	N/A
8.	VII-A	Manufacture of Category V arms of Schedule I (arms other than firearms)	Rs. 5000	N/A
9.	VII-B	Manufacture of replica of firearms including of antique muzzle loading	Rs. 5000	N/A

		weapons and air weapons including air rifles/ air guns		
10.	VII-C	Manufacture of air weapons	Rs. 5000	N/A
15.	X	Composite Import/Export licence for arms and ammunition including parts thereof *(for each consignment)*	Rs. 5000	N/A
20.	XV	For import and Transportation for Govt. of Nepal *(for each consignment)*	Rs. 5000	N/A"

[No. V-11026/98/2016-Arms (Pt. I)]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 15th July, 2016.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.10.30 11:41:20 +05'30'